SHRI P. K. THUNGON: Madam, I can reply ... *(Interruptions)* ...

SHRIMATI KAMLA SINHA: Madam, this is a very serious matter. The whole of North-East is involved. It is a very sensitive area. The Minister is giving irrelevant answers. ... *(Interruptions)* ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat.

अगर आपके पास इसका जवाब लम्बा है तो आप टेबल पर रख दीजिये ।

If your answer is lengthy, please lay it on the Table of the House and discuss it with the Members who have asked this question because it is a very specific question. People are suffering. You can't say that it is a State subject and you have to wait for them. Somewhere you have to take the initiative and solve this problem.

श्री सिकन्दर अख्त : यह सवाल समझ भी गये हैं मिनिस्टर साहब या नहीं ? **(व्यवधान)** मिनिस्टर साहब को पहली दिक्कत तो सवाल को समझने की है **(व्यवधान)**

SHRI P. K. THUNGON: Madam, I will invite the hon. Member to my place and discuss it over a cup of tea. I will explain it to him because certain matters are politically very sensitive. ... *(Interruptions)* ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: All right. You call the Members and discuss it with them. Question No. 163.

Payment to Farmers under Crop Insurance Scheme in Gujarat

*163. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 265 given in the Rajya Sabha on the 10th July, 1992 and state:

(a) whether it is a fact that a sum of Rs. 200.64 crores was to be paid under the Crop Insurance Scheme in Gujarat;

(b) whether it is a fact that the farmers covered under the above scheme in Gujarat have not yet received the balance amount of their dues;

(c) what action has been taken to settle the dues; and

(d) by when the remaining amount will be paid to the farmers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) Out of the amount of Rs. 200.64 crores which was pending, an amount of Rs. 112.84 crores has since been paid. Claims amounting of Rs. 40.04 crores have been repudiated. Claims amounting to Rs. 47.76 crores have been approved for payment by Government of India and are awaiting ⅓rd share from the State Government. On receipt of the same, the claims would be paid to the concerned farmers by the General Insurance Corporation of India (GIC).

SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Madam, the Minister has stated that claims amounting to about Rs. 40 crores have been repudiated. But he has not given the reason why they have been repudiated. In 1990, Rs. 13.49 crores were due to the farmers; Rs. 12.20 crores were due in 1990-91; Rs. 17.92 crores in 1991-92; and Rs. 33.13 crores in 1992-93. All these monies total to about Rs. 70 crores. The Minister says it is Rs. 40 crores. Even if it is Rs. 40 crores, why has this money not been paid to the farmers? Why have their claims been repudiated? And what about the remaining Rs. 30 crores which he has not mentioned in his reply?

श्री अरविंद नेताम : मैडम, मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा है कि जो प्रश्न उत्पन्न हुआ है, वह जुलाई, 1992 के आधार पर है । जो आंकड़े मैंने दिये हैं, वह बिलकुल ठीक हैं । चालीस करोड़ जो अकमुलेट हुए हैं, उसके बारे में बहुत-सी डिसक्रिपेंसी थी और जनरल इंशोरेंस कार्पोरेशन ने भी कुछ रिपोर्ट किया था उसको एक्ज़ामिन करने के लिए और गवर्नमेंट आफ इंडिया तथा स्टेट गवर्नमेंट ने इसको स्वीकार किया है कि चालीस करोड़ के लिए हो रहा है । हमारे पास जो फिगर दिया है, वह बिलकुल ठीक है और जैसा कि मैंने कहा है 1/3 शेयर गुजरात सरकार को मिल जाए, तो हम तुरंत वह सब पेमेंट कर देंगे ।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : यह 1/5 है चालीस करोड़ का । दूसरे वाले का नहीं, और जनरल इंशोरेंस कार्पोरेशन ने कैसे मना किया । उन्होंने कहा था कि कमेटी बनाइये क्योंकि कुछ एरियाज़ के बारे में झगड़ा है । अब सर्वे नम्बर तो सब फार्मर्ज़ को याद नहीं होता कि कौन से सर्वे नम्बर में मूंगफली लगाई, कौन से सर्वे नम्बर में काटन लगाया—वह हर फार्मर को याद नहीं होता । मुझे मेरी जमीन का सर्वे नम्बर याद नहीं है । इनको भी याद नहीं है उनकी जमीन का सर्वे नम्बर । तो इसमें अगर जनरल इंशोरेंस कार्पोरेशन कुछ झगड़ा करे, तो सरकार को फार्मर्ज़ के लिए देखना चाहिए कि उनको उनका इयू मिलना चाहिए । गवर्नमेंट ने कभी कहा कि कमेटी बनाओ, तो वोल्टाज़

लि०, यानी एग्रीकल्चरल फाइनेंस कार्पोरेशन—उन दोनों को काम सौंपा गया। जब उन दोनों ने देख कर एक और कमेटी बनाने के लिए कहा, तो वह कमेटी बनी और उसने सब फार्मर्ज़ का क्लेम देखा और कमेटी ने कहा—However, the Committee has recommended full payment up to 31-8-1990.

वह पहले की बात है। वह भी नहीं दिया। कमेटी ने कहा था कि पूरा पेमेंट कर दो, पर वह भी नहीं करते हैं।

तो इसके बारे में मंत्री जी क्या कहेंगे? कमेटी आपने बनाई, आपके कहने से सब कुछ हुआ और जो कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि पेमेंट कर दो, तो क्यों नहीं करते हैं, यह बताइये।

श्री अरविंद नेताम : महोदया, कमेटी की कुछ सिफारिशें हैं। अगर आप कहें, तो मैं टेबल पर रख दूं।

उपसभापति : सदन के पटल पर रख दीजिए और संक्षेप में बता दीजिए।

श्री अरविंद नेताम : महोदया, कमेटी ने कभी यह नहीं कहा कि पूरी पेमेंट करिए, क्योंकि उसमें कुछ डिसक्रिपेंसी थी और उसमें ऐसा है कि पेमेंट ज्यादा हो रहा था और सोइंग कम हुआ, एरिया ज्यादा दिखाया गया—इस ढंग से था और कुछ जगह पर ऐसा हुआ कि सोइंग सीज़न खत्म होने के बाद भी लोन दिया गया, जो ठीक नहीं है, जो उसकी शर्तों में नहीं है।

तो मैं चाहता हूं कि जो इसकी सिफारिशें हैं, उन्हें ले कर देता हूं और जो माननीय सदस्य ने कहा कि कमेटी ने पूरी पेमेंट के लिए कहा, वह बिलकुल ठीक नहीं है।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : नहीं, नहीं, वह समय की बात गलत है। 31 जनवरी समय था। उन्होंने 31 जनवरी तक काम किया है, आप देख लीजिए।

उपसभापति : टाईम-बाऊंड था।

SHRI JAGESH DESAI : Are you going to give them interest if the amount is not paid? *(Interruption)*.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Desai, please do not interrupt. Let me identify.

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : महोदया, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि रबी क्राप 1991 का 134.25 लाख रुपया फार्मर्ज़ का क्लेम था। उसके अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने 26.8 लाख का पेमेंट किया। जो बाकी किसान रह गये, जोड़िया, कालावर, जामनगर और राजकोट के थे, उनका क्लेम आपने रिजैक्ट कर दिया।

आपने वजह क्या बताई कि—Loaning was done in the month of January. The State Crop Insurance Funds Committee fixed 31-1-1991 as the last date even though you have repudiated the claim of the farmers.

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह देर की वजह से इतनी बड़ी किसानों की रकम जो आपने रिजैक्ट कर दी है, तो क्या इस सदन में सरकार आश्वासन देगी कि यह रकम जो किसानों की बाकी पड़ी है वह किसानों को मिले और मिलेगी तो कब मिलेगी?

श्री अरविंद नेताम : मैडम, इसमें कहा है कि कुछ डिसक्रीपेंसी हुई है और वह जो आधार है इंशोरेंस उसमें फिट होता नहीं है। इसलिए जो सोइंग सीज़न है उसके बाद भी अगर लोन दिया जाता है और इसमें क्लेम किया जाता है पालिसी तो यह उचित नहीं है . . . . **(व्यवधान)**

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : जाने वाली मंथ जो फिक्स किया था और लास्ट डेट 31-1-91 थी। आपके जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट में लोनिंग हुई है इसके फंडज़ आप दे नहीं रहे हैं। कमेटी ने जो डेट फिक्स की थी 31 जनवरी आप यह डेट की वजह से किसानों का इतना बड़ा क्लेम रिजैक्ट कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं और मैं तो आश्वासन ही चाहता हूं कि जो किसानों ने सरकार को आवेदन-पत्र दिया है, आपको लिखा है, ऐसी टेक्नीकैलिटी छोड़ दीजिए और आप किसानों का पैसा दे दीजिए। क्या सदन में आप ऐसा आश्वासन देंगे?

श्री अरविंद नेताम : जैसा मैंने कहा कि जो रबी का सोइंग सीज़न है वह ज्यादा से ज्यादा दिसंबर तक सोइंग हो सकती है, उससे आगे हो ही नहीं सकती और कहें कि हम सोइंग के लिए लोन दे रहे हैं तो वह उचित नहीं है। इसलिए इस स्टेज में इस सिलसिले में मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता, क्योंकि इस संबंध में राज्य सरकार मान चुकी है। . . . . **(व्यवधान)**

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : नहीं मान चुकी है। . . . . **(व्यवधान)**

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : नहीं मानी है। यह गलत बात है। . . . . **(व्यवधान)**

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : जो . . . . **(व्यवधान)** हुआ है वह सब आपको भेजा है। क्या बात करते हैं आप मानने की . . . . **(व्यवधान)**

श्री विष्णु कान्त शास्त्री : इस पर कांग्रेस और बी०जे०पी० दोनों एक मत हैं। . . . . **(व्यवधान)** राज्य सरकार नहीं मानी है। . . . . **(व्यवधान)**

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : नहीं मानी है।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री : माननीय मंत्री जी हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनको कहिए . . . . **(व्यवधान)**

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : यह गरीब किसानों का मसला है ।

श्री छोटू भाई पटेल : मैडम, डिप्टी चेयरमैन, फार्मर्ज़ की जो मांगें हैं . . . . **(व्यवधान)**

उपसभापति : प्लीज़, मंत्री जी, आप मालूमात कर लीजिए स्टेट गवर्नमेंट से दोबारा जो यह मेंबर . . . . **(व्यवधान)** छोटू भाई, जस्ट ए मिनट । आप स्टेट गवर्नमेंट से इसका पूरी तरह से पता लगा लीजिए । जब आपको मालूम हो जाएगा कि जो यह मेंबर्ज़ कह रहे हैं वह ठीक है . . . . **(व्यवधान)** लीजिए और मेंबर्ज़ को लिख कर बता दीजिए कि इस सिलसिले में सही स्थिति क्या है ।

श्री अरविंद नेताम : ठीक है, मैडम ।

श्री छोटू भाई पटेल : मैडम, डिप्टी चेयरपर्सन जो इंशोरेंस की गुजरात के फार्मर्ज़ की जो पुरानी मांगें हैं 1990 से वह जल्दी निपटाने के लिए सरकार के पास क्या योजना है ? जो 40 करोड़ की डिमांड है जिसको अस्वीकार किया गया है तो क्रॉप इंशोरेंस कमेटी के तहत दोबारा चैक करवा कर यह फार्मर्स को धनराशि देने के लिए सरकार क्या सोच रही है और जामनगर डिस्ट्रिक्ट में जोड़िया, कलावार दोनों तालुका ब्लाक्स हैं, वहां के फार्मर्स की डिमांड को काउंट नहीं किया गया है तो उसके बारे में सरकार इसको स्वीकार करने के लिए क्या सोच रही है ?

श्री अरविंद नेताम : महोदया, जैसा कि मैंने मूल प्रश्न में कहा कि जो 47 करोड़ हैं, वह राज्य सरकार शेयर दे दे तो हम तुरन्त इसकी पेमेंट कर देंगे । दूसरा जोड़िया ब्लाक के बारे में जो कहा गया है उसमें कुछ डिसक्रीपेंसी है, जैसा कि मैडम, आपने कहा है, मैं फिर से इसे एग्ज़ामिन करवा लूंगा और उसके बाद उसे मैं सदन के सामने रखूंगा ।

SHRI P. UPENDRA: Madam, the very purpose of the Crop Insurance Scheme is being lost because of the guidelines according to which the block is being taken as a unit. It is just like insisting that for life insurance, people in the whole area should die. Will he consider revising the scheme according to which a Gram Panchayat or a Village will be made a unit ?

श्री अरविंद नेताम : महोदया, जैसे कि अभी नई पायलट स्कीम विचाराधीन है कैबिनेट के सामने और इसमें नई स्कीम के बारे में मुख्य मंत्री सम्मेलन में यह चर्चा हो गई है और उसमें यह जो आप माननीय सदस्य कह रहे हैं वह एक कंडीशन है, इसलिए फिर से नया स्वरूप दिया जा रहा है और कैबिनेट से पास हो जाएगा तो फिर आपके सामने रखा जाएगा ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Off take of fertilisers during khariff season

*164. SHRI GAYA SINGH .
SHRI CHATURANAN MISHRA:
Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the off take of fertiliser for the khariff season this year has been poor; and

(b) if so, the details thereof and also the reasons therefor ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR) : (a) and (b) As on 15-7-1993, the off take of Urea registered an increase of 27% compared to the same period last year while that of DAP and MOP registered a decline of 56% and 44% respectively. Decline in the sale of Phosphatic and Potassic fertilisers has been mainly due to the increase in prices consequent on their decontrol in August, 1992.

Increase in the percentage of illiterates

*165. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:
SHRI GHUFRAN AZAM:
Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned "300 m Indians still illiterate : UNICEF" which appeared in the Times of India dated the 23rd June, 1993;

(b) if so, whether it is a fact that the percentage of illiterates in some states is increasing; and

(c) if so, what steps Government propose to take in this regard ?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) However, in order to eradicate illiteracy, some of the steps taken in recent years include :

(i) The National Literacy Mission was launched in May, 1988 with the objective of imparting functional literacy to 80.00 million adult illiterates in the 15-35 age group by 1995.